

खाद्य सुरक्षा(ग्रामीण) में नाम जोडने हेतु जाँच प्रपत्र

परिवार के मुखिया का विवरण:-

श्री / श्रीमतिपुत्र / पत्नि श्री.....
जाति.....निवासी.....
तहसील टोंक जिला टोंक राशन कार्ड संख्या.....
जनआधार कार्ड संख्या / रसीद संख्या.....में
दर्ज श्रेणी.....(एपीएल / बीपीएल / स्टेटबीपीएल /
अन्त्योदय) है।

:-ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट:-

परिवार के निष्कासन श्रेणी (पात्र नहीं) के बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी:-

1. परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है: हाँ / नहीं
2. परिवार का कोई सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी है अथवा एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करता है:-
हाँ / नहीं
3. परिवार के किसी सदस्य के पास चारपहिया वाहन है (कृषि वाहन ट्रैक्टर को छोडकर)
हाँ / नहीं यदि हां तो वाहन का प्रकार.....
4. परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये से अधिक है हाँ / नहीं
5. ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान 2000 वर्गफीट से अधिक है
हाँ / नहींआवासीय मकान का क्षेत्रफल.....
6. परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में समावेशन हेतु निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आता है यदि हां तो
समावेशन की श्रेणी.....

अथवा

नहीं तो निष्कासन श्रेणी.....

समावेशन एवं निष्कासन के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा अंकित करें.....

.....

संलग्न:- समावेशन श्रेणी से संबंधित दस्तावेज:-

1.
2.
3.

दिनांक:-

हस्ताक्षर मय सील
ग्राम विकास अधिकारी

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....
जाति.....निवासी.....
तहसील टोंक जिला टोंक राशन कार्ड संख्या.....
जनआधार कार्ड संख्या/रसीद संख्या.....
में दर्ज श्रेणी.....(एपीएल/बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय)
घोषणा करता/करती हूं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के
संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिन्दू संख्या में 5 में अंकित निष्कासन की
श्रेणियों में मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियों में
शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनीकार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिए मैं
स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर अपीलार्थी

पटवारी रिपोर्ट

परिवार (राशनकार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों) के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि का विवरण:

खसरा नम्बर/खाता नम्बर.....रकबा.....

परिवार का धारित हिस्सा0 सिंचित/असिंचित.....

परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में समावेशन हेतु निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आता है:-

समावेशन की श्रेणी 1.

2.....

समावेशन एवं निष्कासन के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा अंकित करें.....

दिनांक:-

हस्ताक्षर मय सील
पटवारी

खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. राशन कार्ड
2. जन आधार कार्ड
3. राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार कार्ड
4. समावेशन श्रेणी से संबंधित दस्तावेज (कम संख्या 1 से 24 तक)
5. परिवार का आय प्रमाण पत्र

खाद्य सुरक्षा(शहरी) में नाम जोडने हेतु जाँच प्रपत्र

परिवार के मुखिया का विवरण:-

श्री / श्रीमतिपुत्र / पत्नि श्री.....
जाति.....निवासी.....
तहसील टोंक जिला टोंक राशन कार्ड संख्या.....
जनआधार कार्ड संख्या / रसीद संख्या.....में
दर्ज श्रेणी.....(एपीएल / बीपीएल / स्टेटबीपीएल /
अन्त्योदय) है।

:-नगरपरिषद टोंक द्वारा जाँच रिपोर्ट:-

परिवार के निष्कासन श्रेणी (पात्र नहीं) के बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी:-

7. परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है: हाँ / नहीं
8. परिवार का कोई सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमिति कर्मचारी / अधिकारी है अथवा एक लाख रूपये से अधिक पेंशन प्राप्त करता है:-
हाँ / नहीं
9. परिवार के किसी सदस्य के पास चारपहिया वाहन है (कृषि वाहन ट्रैक्टर को छोडकर)
हाँ / नहीं यदि हां तो वाहन का प्रकार.....
10. परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये से अधिक है हाँ / नहीं
11. ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान 1500 वर्गफीट से अधिक है
हाँ / नहींआवासीय मकान का क्षेत्रफल.....
12. परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में समावेशन हेतु निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आता है यदि हां तो
समावेशन की श्रेणी.....

अथवा

नहीं तो निष्कासन श्रेणी.....

समावेशन एवं निष्कासन के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा अंकित करें.....
.....
.....

संलग्न:- समावेशन श्रेणी से संबंधित दस्तावेज:-

1.
2.
3.

दिनांक:-

हस्ताक्षर मय सील
आयुक्त नगरपरिषद टोंक

शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....
जाति.....निवासी.....
तहसील टोंक जिला टोंक राशन कार्ड संख्या.....
जनआधार कार्ड संख्या/रसीद संख्या.....
में दर्ज श्रेणी.....(एपीएल/बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय)
घोषणा करता/करती हूं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के
संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20.07.2017 के बिन्दू संख्या में 5 में अंकित निष्कासन की
श्रेणियों में मैं/मेरा परिवार शामिल नहीं है। यदि मैं/मेरा परिवार जांच में निष्कासन की श्रेणियों में
शामिल होना पाया जाता है तो मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनीकार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिए मैं
स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर अपीलार्थी

पटवारी रिपोर्ट

परिवार (राशनकार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों) के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि का विवरण:

खसरा नम्बर/खाता नम्बर.....रकबा.....

परिवार का धारित हिस्सा 0 सिंचित/असिंचित.....

परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में समावेशन हेतु निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आता है:-

समावेशन की श्रेणी 1.

2.....

समावेशन एवं निष्कासन के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा अंकित करें.....

.....
.....

दिनांक:-

हस्ताक्षर मय सील
पटवारी

खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. राशन कार्ड
2. जन आधार कार्ड
3. राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार कार्ड
4. समावेशन श्रेणी से संबंधित दस्तावेज (कम संख्या 1 से 24 तक)
5. परिवार का आय प्रमाण पत्र